

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
(शासकीय स्वशासी संस्था) महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

कार्यालय दूरभाष नंबर :- 0731-2527383, 2527679  
फैक्स नंबर :- 0731-2514628

ईमेल :- deanlibrary@gmail.com  
वेबसाईट :- www.mgmmcindore.in

// अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचना //

क्र./ 5923 /एसओई/एसएसएच/स्व/2023

इन्दौर, दिनांक 20/04/2023

शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर एवं संबद्ध संस्था सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इन्दौर एवं स्कूल ऑफ एक्सिलेंस फॉर आई के गैर-शैक्षणिक सवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन पत्र क्रमांक 13258/स्था/अवि/2022 दिनांक 01.09.2022 एम.पी. ऑनलाईन से आवेदन आमंत्रित कर ऑनलाईन परीक्षा उपरांत सूची प्राप्त हुई है।

संचालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 154/स्था/अराज/2023 दिनांक 20.01.2023 द्वारा संशोधित अनुसूची प्रेषित की गई है।

उक्त जारी विज्ञापन में से स्कूल ऑफ एक्सिलेंस फॉर आई इन्दौर के गैर-शैक्षणिक सवर्ग के सरल क्रमांक-06 पर अंकित सहायक ग्रेड-3 (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) के 02 पद (01 अनारक्षित तथा 01 अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी) हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, परन्तु स्कूल ऑफ एक्सिलेंस फॉर आई इन्दौर में पूर्व में जारी अनुसूची में सहायक ग्रेड-3 (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) के 02 पद दर्शाये गये थे तथा शासन की स्वीकृति अनुसार सहायक ग्रेड-3 (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) के 01 पद ही स्वीकृत है।

अतः सहायक ग्रेड-3 (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) के 01 पद (01 अनारक्षित) पर ही नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी तथा विज्ञापन में उल्लेखित सामान्य शर्तें :- बिन्दु क्रमांक-07 अनुसार- सहायक ग्रेड-3 (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का 01 पद जारी विज्ञापन में से निरस्त किया जाता है।

उक्त जारी विज्ञापन में से स्कूल ऑफ एक्सिलेंस फॉर आई इन्दौर के गैर-शैक्षणिक सवर्ग के सरल क्रमांक-03 पर अंकित मेडिकल सोशल वर्कर 03 पद (01अना., 01अजजा, 01अपिव) तथा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इन्दौर के गैर-शैक्षणिक सवर्ग के सरल क्रमांक-01 पर अंकित मेडिकल सोशल वर्कर (01अनारक्षित) के पदों की विज्ञापन में अर्हता "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र/मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातक उपाधि अथवा एम.एस.डब्ल्यू डिप्लोमा/उपाधि" उल्लेखित थी, जो संशोधित अनुसूची में परिवर्तित अर्हता "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामजशास्त्र/मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एम.एस.डब्ल्यू उपाधि।" उल्लेखित होने से मेडिकल सोशल वर्कर के विज्ञापित कुल 04 पदों को जारी विज्ञापन में से निरस्त किया जाता है।

संबंधित आवेदकों की ओर सूचनार्थ।

(डॉ. संजय दीक्षित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
शा.स्व.म.गॉ. स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर.



**कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठाता**  
(शासकीय स्वशासी संस्था) महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

कार्यालय दूरभाष नंबर :- 0731-2527383, 2527679  
फैक्स नंबर :- 0731-2514628

ईमेल :- dean-mgmmc@mp.gov.in  
वेबसाईट :- www.mgmmcindore.in

पत्र क्रमांक. / स्था / स्व / अवि / 2023

इन्दौर, दिनांक 20/4/23

**// कार्यालय आदेश //**

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2-06/2018/1-55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 द्वारा नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। एवं मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक: 154/स्था./अराज/2023 भोपाल दिनांक 20.01.2023 अनुसार **स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इन्दौर** के लिये नियमित पदों के लिये नवीन संशोधित अनुसूची जारी की गई। स्वीकृत रिक्त पदों हेतु एम.पी. आनलाईन के माध्यम से आनलाईन विज्ञापन क्रमांक 13258 दिनांक 01.09.2022 जारी किया गया। विज्ञापन के तारतम्य में परीक्षा उपरांत प्राप्त मेरीट सूची अनुसार दिनांक 24.01.2023 को मूल दस्तावेज का परीक्षण (स्कूटनी) किया गया तत्पश्चात गठित चयन समिति की अनुशंसानुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार कार्य पर उपस्थित होने की दिनांक से निर्धारित वेतनमान में एवं शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के संबद्ध संस्था **स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इन्दौर** के अंतर्गत निम्न शर्तों पर नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	चयनित पद	चयनित श्रेणी	वेतनमान	पदस्थापना स्थल
1	पीयूष श्रीवास्तव	स्टेनोग्राफर डायरेक्टर ऑफिस	UR	5200-20200+2800	स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इन्दौर

- म.प्र.शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रं. एफ-9/3/2005/ नियम/चार, दिनांक 02.04.05 के अनुसार उपरोक्त नियुक्त कर्मचारी पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रं. एफ-5/1/2005/नियम/चार दिनांक 02.04.05 के अनुसार म.प्र सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे।
- चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात् जिला चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा एवं स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा म.प्र. शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
- चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी। नियुक्ति के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि नियुक्त कर्मचारी सेवा में रखे जाने के योग्य नहीं है तो दी गई नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- उपरोक्त नियुक्त उम्मीदवार की सेवाएं नियुक्ता द्वारा किसी भी समय एक माह की अग्रिम सूचना अथवा सूचना के बदले एक माह में मिलने वाले वेतन तथा भत्तों इत्यादि की राशि देकर समाप्त की जा सकती है। यही शर्त उम्मीदवार द्वारा सेवा से त्यागपत्र देने पर भी लागू होगी।
- म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक सी 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हे तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
- नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- नियुक्ति प्रक्रिया में नियमानुसार आरक्षण रॉस्टर का पालन किया गया है।
- शासकीय स्वशासी संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी अवधित गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
- चयनित प्रत्याशी के विरुद्ध कोई भी अपराधिक प्रकरण की कार्यवाही लंबित/प्रचलित होने पर प्रकरण में संलिप्तता पाई जाती है या दोषी घोषित किया जाता है तो आपका चयन निरस्त कर दिया जावेगा एवं इस हेतु चयनित प्रत्याशी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- आपकी नियुक्ति चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासकीय स्वशासी संस्था के आदर्श सेवा नियम 2018 के सेवा शर्तों के अधीन तथा स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।



12. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय जन्मतिथि बाबद् प्रमाण -पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण-पत्र, की छायाप्रति एवं अन्य वांछित प्रमाण-पत्र, दो सेवा पुस्तिका तथा रू.3/- का ट्रेजरी चालान प्रस्तुत करना होगा।
13. एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवाएँ अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होगी।
14. किसी अन्य संस्था में पदस्थ होकर कार्यरत होने पर उस संस्था से त्यागपत्र स्वीकृति आदेश प्रस्तुत करना होगा।
15. आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण-पत्र/अभिलेख गलत पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
16. आपकी नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

(डॉ. संजय दीक्षित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठाता  
शास. स्व. म.गॉ. स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर  
एवं संबद्ध चिकित्सालय, स्वशासी संस्था, इन्दौर

1/2

5937-42

पृ. क्रमांक./ /स्था/स्व/अवि/2023

इन्दौर, दिनांक

20/11/23

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. संभागायुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर ।
3. अधीक्षक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इन्दौर ।
4. सिविल सर्जन, मेडिकल बोर्ड जिला चिकित्सालय इन्दौर ।
5. लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय, इन्दौर की ओर भेजकर लेख है कि म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सी 3 -13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हे तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा ।
6. संबंधित नाम—, पीयूष श्रीवास्तव

पता:- मिलन फोटो स्टूडियो कृपाराम गली बरेठ रोड़ बसौदा  
जिला विदिशा 464221

(डॉ. संजय दीक्षित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठाता  
शास. स्व. म.गॉ. स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर  
एवं संबद्ध चिकित्सालय, स्वशासी संस्था, इन्दौर



## कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठाता

(शासकीय स्वशासी संस्था) महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

कार्यालय दूरभाष नंबर :- 0731-2527383, 2527679

फैक्स नंबर :- 0731-2514628

ईमेल :- dean-mgmmc@mp.gov.in

वेबसाइट :- www.mgmmcindore.in

पत्र क्रमांक. /स्था/स्व/अवि/2023

इन्दौर, दिनांक 20/01/23

5945

// कार्यालय आदेश //

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2-06/2018/1-55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 द्वारा नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। एवं मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक: 154/स्था./अराज/2023 भोपाल दिनांक 20.01.2023 अनुसार **स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इन्दौर** के लिये नियमित पदों के लिये नवीन संशोधित अनुसूची जारी की गई। स्वीकृत रिक्त पदों हेतु एम.पी. आनलाईन के माध्यम से ऑनलाईन विज्ञापन क्रमांक 13258 दिनांक 01.09.2022 जारी किया गया। विज्ञापन के तारतम्य में परीक्षा उपरांत प्राप्त मेरीट सूची अनुसार दिनांक 24.01.2023 को मूल दस्तावेज का परीक्षण (स्कूटनी) किया गया तत्पश्चात गठित चयन समिति की अनुशंसानुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार कार्य पर उपस्थित होने की दिनांक से निर्धारित वेतनमान में एवं शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के संबद्ध संस्था **स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इन्दौर** के अंतर्गत निम्न शर्तों पर नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	चयनित पद	चयनित श्रेणी	वेतनमान	पदस्थापना स्थल
1	अवनीश भार्गव	लाईब्रेरी असिस्टेंट	UR	5200-20200+2100	स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इन्दौर

- म.प्र.शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रं. एफ-9/3/2005/ नियम/चार, दिनांक 02.04.05 के अनुसार उपरोक्त नियुक्त कर्मचारी पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रं. एफ-5/1/2005/नियम/चार दिनांक 02.04.05 के अनुसार म.प्र सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे।
- चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात् जिला चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा एवं स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा म.प्र. शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
- चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी। नियुक्ति के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि नियुक्त कर्मचारी सेवा में रखे जाने के योग्य नहीं है तो दी गई नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- उपरोक्त नियुक्त उम्मीदवार की सेवाएं नियोक्ता द्वारा किसी भी समय एक माह की अग्रिम सूचना अथवा सूचना के बदले एक माह में मिलने वाले वेतन तथा भत्तें इत्यादि की राशि देकर समाप्त की जा सकती है। यही शर्त उम्मीदवार द्वारा सेवा से त्यागपत्र देने पर भी लागू होगी।
- म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक सी 3 -13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हे तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
- नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- नियुक्ति प्रक्रिया में नियमानुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।
- शासकीय स्वशासी संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी अवधित गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
- चयनित प्रत्याशी के विरुद्ध कोई भी अपराधिक प्रकरण की कार्यवाही लंबित/प्रचलित होने पर प्रकरण में संलिप्तता पाई जाती है या दोषी घोषित किया जाता है तो आपका चयन निरस्त कर दिया जावेगा एवं इस हेतु चयनित प्रत्याशी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- आपकी नियुक्ति चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासकीय स्वशासी संस्था के आदर्श सेवा नियम 2018 के सेवा शर्तों के अधीन तथा स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।



12. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय जन्मतिथि बाबद् प्रमाण -पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण-पत्र, की छायाप्रति एवं अन्य वांछित प्रमाण-पत्र, दो सेवा पुस्तिका तथा रू.3/- का ट्रेजरी चालान प्रस्तुत करना होगा।
13. एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवाएँ अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होगी।
14. किसी अन्य संस्था में पदस्थ होकर कार्यरत होने पर उस संस्था से त्यागपत्र स्वीकृति आदेश प्रस्तुत करना होगा।
15. आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण-पत्र/अभिलेख गलत पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
16. आपकी नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी।

(डॉ. संजय दीक्षित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठाता  
शास. स्व. म.गों. स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर  
एवं संबद्ध चिकित्सालय, स्वशासी संस्था, इन्दौर

1/2

क्रमांक./ स्था/स्व/अवि/2023

इन्दौर, दिनांक 20/11/23

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. संभागायुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर।
3. अधीक्षक स्कुल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इन्दौर।
4. सिविल सर्जन, मेडिकल बोर्ड जिला चिकित्सालय इन्दौर ।
5. लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय, इन्दौर की ओर भेजकर लेख है कि म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सी 3 -13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हे तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा ।
6. संबंधित नाम:- अवनीश भार्गव

पता:- रेज मार्केट पिचोरे शिवपुरी

(डॉ. संजय दीक्षित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठाता  
शास. स्व. म.गों. स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर  
एवं संबद्ध चिकित्सालय, स्वशासी संस्था, इन्दौर



# कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठाता

(शासकीय स्वशासी संस्था) महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

कार्यालय दूरभाष नंबर :- 0731-2527383, 2527679

फैक्स नंबर :- 0731-2514628

ईमेल :- dean-mgmmc@mp.gov.in

वेबसाईट :- www.mgmmcindore.in

पत्र क्रमांक./ 'स्था/स्व/अवि/2023

इन्दौर, दिनांक 20/11/23

5933

// कार्यालय आदेश //

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2-06/2018/1-55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 द्वारा नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। एवं मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक: 154/स्था./अराज/2023 भोपाल दिनांक 20.01.2023 अनुसार स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इन्दौर के लिये नियमित पदों के लिये नवीन संशोधित अनुसूची जारी की गई। स्वीकृत रिक्त पदों हेतु एम.पी. आनलाईन के माध्यम से आनलाईन विज्ञापन क्रमांक 13258 दिनांक 01.09.2022 जारी किया गया। विज्ञापन के तारतम्य में परीक्षा उपरांत प्राप्त मेरीट सूची अनुसार दिनांक 24.01.2023 को मूल दस्तावेज का परीक्षण (स्कूटनी) किया गया तत्पश्चात गठित चयन समिति की अनुशंसानुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार कार्य पर उपस्थित होने की दिनांक से निर्धारित वेतनमान में एवं शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के संबद्ध संस्था स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इन्दौर के अंतर्गत निम्न शर्तों पर नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	चयनित पद	चयनित श्रेणी	वेतनमान	पदस्थापना स्थल
1	विक्रम यादव	सहायक ग्रेड-3 (डाटा एन्ट्री ऑपरेंटर)	UR	5200-20200+1900	स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इन्दौर

- म.प्र.शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रं. एफ-9/3/2005/ नियम/चार, दिनांक 02.04.05 के अनुसार उपरोक्त नियुक्त कर्मचारी पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रं. एफ-5/1/2005/नियम/चार दिनांक 02.04.05 के अनुसार म.प्र सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे।
- चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात् जिला चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा एवं स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा म.प्र. शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
- चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी। नियुक्ति के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि नियुक्त कर्मचारी सेवा में रखे जाने के योग्य नहीं है तो दी गई नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- उपरोक्त नियुक्त उम्मीदवार की सेवाएं नियोक्ता द्वारा किसी भी समय एक माह की अग्रिम सूचना अथवा सूचना के बदले एक माह में मिलने वाले वेतन तथा भत्तें इत्यादि की राशि देकर समाप्त की जा सकती है। यही शर्त उम्मीदवार द्वारा सेवा से त्यागपत्र देने पर भी लागू होगी।
- म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक सी 3 -13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हें तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
- नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- नियुक्ति प्रक्रिया में नियमानुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।
- शासकीय स्वशासी संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी अवधित गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
- चयनित प्रत्याशी के विरुद्ध कोई भी अपराधिक प्रकरण की कार्यवाही लंबित/प्रचलित होने पर प्रकरण में संलिप्तता पाई जाती है या दोषी घोषित किया जाता है तो आपका चयन निरस्त कर दिया जावेगा एवं इस हेतु चयनित प्रत्याशी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- आपकी नियुक्ति चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासकीय स्वशासी संस्था के आदर्श सेवा नियम 2018 के सेवा शर्तों के अधीन तथा स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।



12. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय जन्मतिथि बाबद प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण-पत्र, की छायाप्रति एवं अन्य वांछित प्रमाण-पत्र, दो सेवा पुस्तिका तथा रू.3/- का ट्रेजरी चालान प्रस्तुत करना होगा।
13. एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवाएँ अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होगी।
14. किसी अन्य संस्था में पदस्थ होकर कार्यरत होने पर उस संस्था से त्यागपत्र स्वीकृति आदेश प्रस्तुत करना होगा।
15. आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण-पत्र/अभिलेख गलत पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
16. आपकी नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी।

(डॉ. संजय दीक्षित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठाता  
शास. स्व. म.गॉ. स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर  
एवं संबद्ध चिकित्सालय, स्वशासी संस्था, इन्दौर

1/2

5934-38

पृ. क्रमांक. /स्था/स्व/अवि/2023

इन्दौर, दिनांक

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. संभागायुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर ।
3. अधीक्षक स्कुल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इन्दौर ।
4. सिविल सर्जन, मेडिकल बोर्ड जिला चिकित्सालय इन्दौर ।
5. लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय, इन्दौर की ओर भेजकर लेख है कि म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सी 3 -13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हे तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा ।
6. संबंधित नाम—, विक्रम यादव पिता संतोष यादव

पता :- ग्राम रायपुरा पोस्ट सिपतान जिला खरगोन

(डॉ. संजय दीक्षित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठाता  
शास. स्व. म.गॉ. स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर  
एवं संबद्ध चिकित्सालय, स्वशासी संस्था, इन्दौर